

उनवान:- अरविन्द बगै0 बनाम मुनेश बगै0  
दावा बावत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक फर्द अहकाम

04.12.2025

वादी की ओर से श्री विजय भारती एडवोकेट ने दावा बावत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 13.01.2026 को पेश हो।

*(Signature)*

(अमन चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
टोडाभीम जिला करौली

5502-10  
8/12/25

13.1.26

पत्रावली पेश हुई तादी एवं तादी क्लैम कोर्ड उपलब्ध नहीं कर- कर प्रकाश दिनांक 13.01.2026 को उक्त दावा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 13.01.2026 को पेश हो।

प्रस्तावना

DD

*(Signature)*